कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा

To,

Divisional Forest Officer District Baran,

विषय :– Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km. 132/500 to 137/500

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6979/2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	EDS के बिन्दु संख्या A के तहत प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त दो अन्य वैकल्पिक मार्गो का विवरण अपेक्षित था । अर्थात् प्रस्तावित मार्ग के अलावा 2 अन्य वैकल्पिक मार्गो के दर्शाते हुए नक्शा तथा उक्त मार्गो में आने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना शीट उपलबध कराई जानी अपेक्षित थी ताकि प्रस्तावित मार्ग में न्यूनतम वन भूमि आने के तथ्य को जस्टिफाई किया जा सके।	प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त दो अन्य विकल्पों का विवरण संलग्न किया गया है। तथा यह स्टेट हाइवे होने के कारण यह Strengthing का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी। अतः अन्य विकल्प उचित नही है।
2	EDS के बिन्दु संख्या 4 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन में सम्मिलित क्षेत्रफल का विवरण नही दिया गया है। कृपया प्रस्तावित सड़के के विरूद्ध आपके द्वारा कितनी लम्बाई व चौड़ाई में सड़क निर्माण का कार्य करवा लिया गया है व उसका क्षेत्रफल कितना है का विवरण उपलब्ध करावें।	श्रीमान उप वन संरक्षक बारॉ द्वारा Site Inspection Report में कुल 4.00 हेक्टर वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अधेशाषी अभेयन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड छबड़ा